

Right to Information

Public Information Officer –

Dr. Kusumlata Nigwal

Principal, Govt. M.L.B. Girls P.G. College, Indore

Assistant Information Officer –

1. Dr. Rajeev Dixit

2. Prof. Sunita Jain

Right to Information Act 2005

1. For the procurement of information, the applicant can give the application along with a Non-judicial stamp of Rs. 10/-
2. Applicants (BPL) below the poverty line (on submitting their certificate) are exempted from paying the fee along with the application.
3. The desired information would be made available within 30 days by Public Information Officer.
4. The applicant would be liable to pay Rs. 02 per page (A-4 or A-3 size) for every photocopy of the desired information.
5. If the information is required in C.D. or floppy then Rs. 50/- would be charged for each CD or floppy.

Lakshmi Bai
Govt. Maharani Lakshmi Bai Girls P.G. College

सूचना का अधिकार

लोकसूचना अधिकारी

डॉ. कुसुमलता निगवाल

प्राचार्य, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
किला भवन, इन्दौर (म.प्र.)

सहायक सूचना अधिकारी

1. डॉ. राजीव दीक्षित
2. प्रो. सुनीता जैन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार –

1. सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक दस रुपए के नॉन जूडिशियन स्टाम्प के साथ आवेदन करें अथवा दस रुपए की शुल्क रसीद सहित आवेदन करें।
2. गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक को (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. मांगी गयी जानकारी की छायाप्रतियाँ प्रत्येक (ए-4 अथवा ए-3 आकार) के लिये दो रुपए के हिसाब से शुल्क लिया जायेगा।
5. यदि सूचना सी.डी. या फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो पचास रुपए प्रति सी.डी. या फ्लॉपी लिया जायेगा।

Lakshmi Bai

Govt. Maharani Lakshmi Bai Girls P.G. College